

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बावन'

प्रश्न सं. [क. 5769]

[14/3/2016]

विधानसभा प्रश्न (अताराकत प्रश्न क्रमांक 5769।
(परिशिष्ट 'अ')

सं.क्र.	विज्ञापन जारी करने का दिनांक	अनुबंध एवं अनुमोदन	वर्षवार व्यय
सागर	वाहन किराये से लेने हेतु दिनांक 29.05.2014 को विज्ञापन जारी किया गया था।	कलेक्टर महोदय द्वारा स्वीकृत दरों पर ही अनुबंध संपादित किया गया।	वित्तीय वर्ष 2015-16 में वाहन पर 156000/-रूपये व्यय हुआ
छतरपुर	बाल संरक्षण अधिकारी जिला छतरपुर द्वारा परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-1/2006/नियम/चार दिनांक 24.06.2006 तथा क्रमांक एफ 3-1/2007/नियम/चार, दिनांक 26.10.2007 द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर वाहन किराये पर लिया गया।	स्थाई रूप से वाहन किराये पर नहीं लिया गया इसलिए अनुबंध नहीं किया गया अस्थाई रूप से आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लेने हेतु जिला कलेक्टर से अनुमोदन लिया गया।	वाहन पर व्यय की राशि निम्नानुसार है :- वर्ष 2013-14 रु 125000/- वर्ष 2014-15 रु 138608/- वर्ष 2015-16 रु 26000/-
दमोह	वाहन किराये से लेने हेतु दिनांक 24.01.15 को विज्ञापन जारी किया गया था। जिसका प्रकाशन हरिभूमि जबलपुर अखबार में हुआ है।	वाहन किराये पर लेने हेतु कलेक्टर से अनुमोदन 26.09.2015 प्राप्त किया गया है।	वाहन पर व्यय की राशि निम्नानुसार है :- वर्ष 2014-15 रु 78264/- वर्ष 2015-16 रु 108613/-
टीकमगढ़	मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल के पत्र क्र एफ 11-16/2012/नियम/चार भोपाल दिनांक 06.10.2012 में परिपालन में वाहन किराये पर लेने के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया गया।	टीकमगढ़ जिले में वाहन किराये पर लेने हेतु कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय क्य समिति द्वारा दिनांक 25.09.2013 एवं दिनांक 1.11.2014 को अनुमोदित किया गया।	वाहन पर व्यय की राशि निम्नानुसार है :- वर्ष 2013-14 रु113708/- वर्ष 2014-15 रु215400/- वर्ष 2015-16 रु194010/-
पन्ना	वित्त परिवहन विभाग के नियम/चार/एफ 11-16/2012 भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2012 के निर्देशों के तहत वाहन किराये पर लिया गया है। जिला पंचायत पन्ना द्वारा जारी विज्ञापन के आधार पर अनुमोदित अनुसार सक्षम स्वीकृति उपरांत वाहन किराये पर लिया गया।	जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत दरों पर अनुमोदन उपरांत वाहन किराये पर लिया गया है।	वाहन पर व्यय की राशि निम्नानुसार है :- वर्ष 2013-14 रु 160418/- वर्ष 2014-15 रु. 218444/- वर्ष 2015-16 निरंक

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश

अपर संचालक
महिला सशक्तिकरण,
मध्यप्रदेश